

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 04/2013

बउनवान

- 1— प्रेमचन्द उम्र 40 वर्ष पुत्रगण रघुनाथ जाति—मीणा,
2— फूलचन्द उम्र 35 वर्ष निवासी—पाली की झौपडिया तह.मॉंगरोल

(प्रार्थीगण)

बनाम

- 1— मूलचन्द उम्र 55 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति—स्वर्णकार निवासी—बम्बोरीकलां
तहसील—मॉंगरोल जिला—बारां (राज०)
2— राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मॉंगरोल जिला—बारां (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र धारा—14(4) भू आवंटन नियम, 1970

उपस्थिति:—1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक

(प्रार्थी)

2.श्री बृजकिशोर शर्मा,अभिभाषक

(अप्रार्थी क्रम—1)

निर्णय दिनांक— 05.08.2019

1— प्रार्थी ने जयें अभिभाषक प्रार्थनापत्र भू आवंटन नियम—1970 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके ग्राम पाली (बमोरीकलां) तहसील—मॉंगरोल के हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 2.70 है. व खसरा नं० 70 रकबा 6.38 है भूमि स्थित है जिसमें से 2.24 है० भूमि विवादित है जिसके निरस्तीकरण बाबत प्रार्थनापत्र पेश किया गया है विवादित भूमि का साबिक खसरा नम्बर 43 रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा था उस समय यह भूमि पाली में आती थी। वर्तमान में यह भूमि ग्राम बम्बोरीकलां तहसील—मॉंगरोल में दर्ज है। उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 43 की 5 बीघा भूमि अप्रार्थी क्रम—1 मूलचन्द को आवंटन की गयी थी जो 300/—रूपये प्रति बीघा की दर से आवंटी की गयी थी। अप्रार्थी ने आवंटन दिनांक से आज तक कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं किया है और ना ही आवंटन की किश्ते जमा की है इस कारण उसका आवंटन निरस्त होने योग्य है।

2— अप्रार्थी क्रम—1 के इस वादग्रस्त आराजी के आवंटन को लेकर पूर्व में भी वाद चला था जिसमें राज्य सरकार ने निर्देश दिये थे कि उक्त आवंटन गलत व त्रुटिपूर्ण है तथा आवंटन की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, इस कारण इस आवंटन को बनाये रखना न्याय हित में नहीं होगा। आवंटित आराजी पर आवंटन से पूर्व ही प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण मीणा जाति के है, जो अनुसूचित जनजाति की

परिभाषा में आते हैं तथा आवंटित भूमि पर निरन्तर काबिज है, जिसका जुर्माना भी प्रतिवर्ष जमा कराते आ रहे हैं। अप्रार्थी आवंटित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जबकि राजस्व रेकार्ड में उसका कोई हक व अस्तित्व नहीं है तथा आवंटित की गयी भूमि की किश्ते अब जमा करवाना चाहते हैं जो अप्रार्थी क्रम-2 जमा करने को तैयार है, जबकि उनको अब आवंटन की किश्ते जमा करवाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आते हैं। उनके पास मात्र डेढ-डेढ बीघा भूमि है, इस कारण इस भूमि पर प्रथम हक प्रार्थीगण का बनता है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी को दिनांक 18.11.1988 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाते हुये, अप्रार्थी क्रम-2 को पाबन्द किया जावे कि 18.11.1988 के आवंटन के संबंध में अप्रार्थी क्रम-1 से कोई राशि जमा नहीं करावे तथा नियमन सलाहकार समिति के नाम निर्देश दिये जावे कि यदि प्रार्थीगण पात्रता रखते हो तो उक्त भूमि का आवंटन प्रार्थीगण के नाम किया जावे।

3- प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्जे सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल भू आवंटन रेकार्ड तलब किया गया तथा प्रश्नगत आराजी की तहसीलदार, मॉंगरोल से मौका रिपोर्ट की रिपोर्ट मॉगवायी गयी। प्रकरण में रेकार्ड व मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गयी।

4- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी क्रम-1 को ग्राम-पाली की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 43 में से 5 बीघा भूमि दिनांक 18.11.1988 को 300/-रूपये प्रति बीघा के हिसाब से कीमतन आवंटन किया गया है। आवंटित आराजी पर वक्त आवंटन से पूर्व से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी ने आवंटित पश्चात् ना तो आवंटित आराजी की किश्त जमा करायी है ना ही कभी कब्जा काश्त किया है। आवंटि ने आवंटन की किसी भी शर्त का पालना नहीं की है, इसलिये आवंटन स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

5- अप्रार्थी को आवंटित आराजी वक्त आवंटन गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज थी। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इसके आवंटन निरस्तीकरण की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यहाँ दर्ज हुई है जिसमें दिनांक 13.12.1989 को आदेश पारित हुआ है कि जो भूमि नाला मवेशियो के पानी पीने के काम में आ रहीं है, श्मशान है, रास्ता है या कुआ बना हुआ है, उस भूमि को अलग निकालते हुये, आवंटि को कब्जा नहीं दिया जावे, यदि दे दिया है तो आवंटन निरस्त करते हुये उक्त भूमि को गै. मुमकिन नाला दर्ज किया जावे। इस आदेश की पालना अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा आदिनांक तक नहीं की गयी है, जो घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी का उक्त आवंटन निरस्त नहीं होने से अप्रार्थी तहसील मॉंगरोल में कीमतन राशि जमा कराकर, उक्त आराजी पर गैर खातेदारी प्राप्त करने पर आमादा है। यदि राशि जमा करा कर उक्त आराजी पर गैर खातेदारी दर्ज कर दी गयी तो माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल से भी दिनांक 10.5.2015 को इस न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आवंटित आराजी पर आवंटि का कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी क्रम-1 का भू

आवंटन दिनांक 18.11.1988 निरस्त फरमाया जाकर, प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन की अनुशंसा के साथ पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, मॉंगरोल को भिजवायी जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम-1 ने अभिभाषक प्रार्थीगण के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि अप्रार्थी भूमिहीन होने से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मजमेंआम में ग्राम पाली की आराजी ख0नं0 43 में से 5 बीघा 300/-रूपये में कीमतन आवंटित की गयी थी। पारिवारिक कारणवश समय रहते कीमतन राशि जमा नहीं करा पाया था, जिसे अप्रार्थी जमा कराने पर तत्पर है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र श्रवणाधिकार योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थी ने ही न्यायालय में तथ्य पेश किये है कि उक्त आवंटन पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से पूर्व में निर्णय हो चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को पुनः धारा, 14(4) के तहत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। इसलिये प्रार्थनापत्र प्रथमतः ही खारिज योग्य है। विवादित आराजी वर्तमान में सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं होकर, काश्त योग्य है। इसी कारण तत्समय आदेश की पालना नहीं हुई है। प्रकरण में तहसीलदार, मॉंगरोल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी की मिलीभगत से तैयार करवायी गयी है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व मौका रिपोर्ट का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा वक्त आवंटन गै.मु.खाल/नाला सिवायचक दर्ज थी। जिसमें से अप्रार्थी क्रम-1 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम पाली की आराजी ख0नं0 43 में से 5 बीघा का कीमतन 300/-रूपये प्रति बीघा आवंटित की गयी है। जिसके बाद सेटलमेंट ख0नं0 69 रकबा 2.79 है0 व 70 रकबा 5.09 है0 दर्ज हुए है जो जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में गै.मु. खाल (सिवायचक) नदिया, नाले तथा बेहद दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी आवंटी ने उक्त आराजी बाबत कीमतन राशि जमा नहीं करायी है ना ही आवंटी का उक्त आराजी पर कब्जा रहा है। वर्तमान में भी राजस्व रेकार्ड में आवंटन का अमल दरामद नहीं हुआ है।

8— प्रकरण में यह भी स्पष्ट विदित हुआ है कि अप्रार्थी क्रम-1 का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन संबंधी) नियम, 1957 के अन्तर्गत किया गया है, जिसके निरस्तीकरण के अधिकार तत्समय राजस्व अपील प्राधिकारी को थे। इसलिये तत्समय उक्त आवंटन निरस्तीकरण हेतु उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 18.11.1989 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यहाँ अपील दायर हुई है जिसमें माननीय न्यायालय ने तहसीलदार को स्पष्ट आदेश पारित किये गये है कि जो भूमि नाला मवेशियों के पानी पीने के काम में आ रहीं है, श्मशान है, रास्ता है या कुआ बना हुआ है, उस भूमि को अलग निकालते हुये, आवंटी को कब्जा नहीं दिया जावे, यदि दे दिया है तो आवंटन निरस्त करते हुये उक्त भूमि को गै.मुमकिन नाला दर्ज किया जावे। जिसकी पालना तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा नहीं गयी है। वर्तमान में अपर न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा का निर्णय अस्तित्व में है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय से अब आवंटन पर कोई आदेश पारित किया जाना वांछनीय ही रह जाता है।

9— परिणामस्वरूप, प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर, पत्रावली तहसीलदार, मॉंगरोल को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के निर्णय दिनांक 13.12.1989 के पेरा-6 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवंटन की मौका अनुसार जाँच व पैमाइश कर, निर्णय की क्रियान्विति व पालना करावे तथा राजस्व नक्शे को तदनुसार दुरुस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

